..23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई थी वकील प्रार्थी ने प्रा-पत्र अनुसार निम्न प्रकार से बहस कर निवेदन किया कि मौजा बानोडा प.ह. जयनगर की आराजी सं. 31,32,33,34,35,36,37,38,43,49,50 कुल किता 11 कुल रकबा 1.1000 हे० भूमि मे प्रार्थी का 1/6 व विपक्षी का 1/30 हिस्सा निहित होकर संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त हिस्सा आराजीयात को विपक्षी जबरन ताकत के बल पर छीन कर कब्जा करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं पत्रावली मे सलंग्न दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया नकल जमाबंदी सवत् 2078-78 खाता सं. 42 कि आराजीयात सं. 31,32,33,34,35,36,37,38,43,49,50 कुल किता 11 कुल रकबा 1.1000 हे. भूमि अविभाजित होकर शामलाती आराजियात है। हमारी विनम्र राय है किसी भी आराजियात का विधिवत शामलाती कृषि आराजियात का बटवारा नही हो जाता है तब तक किसी भी सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना हम उचित नही समझते है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात सहखातेदारान की होने से प्रा. पत्र अस्वीकार होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अ. धा. 212 R.T.A सिद्ध नही होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.22 16:52:03 IST
Reason: SelfAttested